

339

न्यायालय त्रिभान् सस्य महोदय म०प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर तर्बिठ रीवा

म० प्र०

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2013

568
23-9-13

R-4100-11/13



डिस्ट अफिसर
नहीं होंगे पर
रखें डिस्ट्रिक्ट

अधिम श्रीलक्ष्मी कृष्ण
दादा प्रहलदा
रीवा, दि. 23-9-13

श्रीमती माधुरी शुक्ला पत्नी वृजेन्द्रप्रसाद शुक्लासाकिन चंदिया, तहसील चंदिया
जिला उमरिया म०प्र० आवेदिका

विरुद्ध

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

मीरुसाहू तनय रामसाय साहू सा० नरियरा: चंदिया? तहसील चंदिया
उमरिया जिला उमरिया म०प्र० आवेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार
महोदय, चंदिया जिला उमरिया दिनांक
03-12-13 03-11-12

7-11-13

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० मुराजस्व संहिता
सन 1959ई०

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं:-

- 1- यहकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवम प्रक्रिया के विपरीत है।
- 2- यहकि अधीनस्थ न्यायालयने आ० द्वारा सीमाकिन का मामला वायर करने पर तहसीलदार ने पाया कि आ० की मूमि नक्शे में पृथक् नहीं है, लिहाजा नक्शा तमीम करने के फरचात ही सीमाकिन के आवेश बावतु किया गया परन्तु नक्शा तमीम की वैधानिक कार्यवाही किये कगेर सोधे

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4100-तीन/2013

जिला उमरिया

माधुरी

विरुद्ध

भीखू साहू

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--------------------------------------|
| 25-2-2019 | <p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से श्री यागेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित ।</p> <p>3. यह निगरानी तहसीलदार चंदिया जिला उमरिया के प्रकरण क्रमांक 369⁵⁰/अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 03-11-2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 12-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</p> | |

3

(आर०के० जैन)
सदस्य
12-2-2019